भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 308*

<u>दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

हलाल प्रमाणन

***308. डॉ. के. सुधाकर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देश भारत से आयात के संबंध में हलाल प्रमाणन पर जोर देते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसा प्रमाणन धार्मिक स्वरूप का है या गैर-धार्मिक स्वरूप का है और भारत में ऐसे प्रमाणन किस कारण स्वीकृत किए जाते हैं;

(ग) हमारे देश में आयात **की** गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या देश में निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई **है**, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि हमारे निर्यात-आयात मानक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन के अनुरूप हैं, **यदि** हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार द्वारा अन्य देशों या क्षेत्रीय समूहों के साथ अधिक मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए कोई कदम उठाया गया है और **यदि** हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

"हलाल प्रमाणन" के संबंध में डॉ. के सुधाकर द्वारा पूछे गए दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *308 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): मांस और मांस उत्पादों के प्रमुख आयातक देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों आदि के पास हलाल उत्पादों के आयात के प्रमाणन के लिए अपने स्वयं के नियम, मानक और प्रणाली है। भारत और अन्य देशों से मांस उत्पादों के निर्यात को हलाल के लिए देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना आवश्यक है। निर्दिष्ट मांस उत्पादों के निर्यात के लिए बनाया गया हलाल के लिए भारत अनुरूपता आकलन योजना (आई-सीएएस) के अनुसार, हलाल प्रमाण पत्र अनुरूपता का प्रमाण पत्र है जो पुष्टि करता है कि उत्पाद, प्रक्रिया अथवा सेवा इस्लामी शरिया कानून के अनुसार हलाल मानकों/नियमों और हलाल आवश्यकताओं को पूरा करती है।

हलाल के लिए भारत अनुरूपता आकलन योजना (आई-सीएएस) को वैश्विक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विकसित किया गया है जिससे कि हलाल प्रमाणन की आवश्यकता वाले देशों को मांस निर्यात की सुविधा मिल सके और प्रमाणन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जा सके। विनिर्दिष्ट देशों के लिए नियत विनिर्दिष्ट मांस उत्पादों के निर्यात के संबंध में, हलाल के लिए आई-सीएएस, संबंधित आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा अनिवार्य है।

(ग) देश में खाद्य आयातों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

i. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस में खाद्य उत्पादों का जोखिम आधारित नमूना है।

ii.मंजूरी के लिए एफएसएसएआई को संदर्भित खाद्य वस्तुएं, दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण, सैम्पलिंग और प्रयोगशाला परीक्षण के अधीन हैं यदि नमूना अनुरूप पाया जाता है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया जाता है और यदि अनुरूप नहीं है, तो गैर-अनुरूप रिपोर्ट (एनसीआर) दी जाती है।

iii.उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों का आयात केवल 79 प्रवेश केंद्रों के माध्यम से प्रतिबंधित है, जो एफएसएसएआई और पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित और प्रबंधित हैं।

(घ) वित्त वर्ष 2022-2023 और वित्त वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिए एफएसएसएआई की खाद्य आयात निकासी प्रणाली (एफआईसीएस) में उपलब्ध खाद्य आयात आंकड़ों के आधार पर, अवमानक खाद्य आयात में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।

(ङ) एफएसएसएआई ने कोडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों और लेबलिंग के लिए विशिष्ट मानक विकसित किए हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य आयात वैश्विक मानदंडों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए सुरक्षा, गुणवत्ता और लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एफएसएस अधिनियम, 2006 की

धारा 25 और खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के तहत खाद्य आयात को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में असुरक्षित, गलत ब्रांडेड, घटिया खाद्य अथवा उचित लाइसेंसिंग के बिना खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध है।

भारत से निर्यात आयातक देश के मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके अलावा, निर्यातों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम (ईआईसी अधिनियम), 1963 के अंतर्गत कतिपय खाद्य उत्पादों को अधिसूचित किया जाता है। अधिनियम में यह विनिदष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों का निर्यात यह सुनिश्चित करने के बाद किया जा रहा है कि उत्पाद समय-समय पर लागू आयातक देश की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। ईआईसी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य उत्पाद निम्नानुसार हैं:

क्रम.सं	वस्तुएं
i	बासमती चावल
ii	मछली और मत्स्य उत्पाद
iii	शहद
iv	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद
v	अंडा और अंडा उत्पाद
vi	ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद
vii	कच्चा मांस उत्पाद (ठंडा/प्रशीतीत)
viii	प्रसंस्कृत मांस उत्पाद
ix	पशु आवरण
x	क्रश्ड बोन्स, ओसीन और जिलेटिन
xi	फल उत्पाद
xii	फ़ीड एडिटिव्स और प्रीमिक्सचर
xiii	मूंगफली और मूंगफली उत्पाद
xiv	नमक
xv	काली मिर्च

(च): भारत ने अब तक 14 मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और 6 अधिमानी व्यापार समझौता (पीटीए) किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में अन्य व्यापारिक भागीदारों नामत यूके, ईयू, ओमान, आस्ट्रेलिया (भारत-आस्ट्रेलिया आथक सहयोग एवं व्यापार समझौता संबंधी व्यापक समझौता निर्माण), पेरू और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ताएं कर रहा है। इसके अलावा, भारत ने अपने मौजूदा एफटीए अर्थात् (i) भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए), और (ii) आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा भी आरंभ कर दी है।

*****